राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः प.1(1)चिस्वा/ग्रुप–2/2020 जयपुर, दिनांक : 07.05.2021

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 02.05.2021 द्वारा कोविड–19 के संक्रमित मरीजों की बढती संख्या, संक्रमण दर एवं सक्रिय मरीजों की बढती संख्या के वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का समुचित, विवेकपूर्ण, न्यायसंगत उपयोग किये जाने तथा आमजन को कोविड संक्रमण की प्रारम्भिक अवस्था में ही उनके निवास के समीप ही कोविड–19 का उपचार/रेफरल सेवाऐं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य के प्रत्येक खण्ड के केन्द्रीय रूप (Centrally Located) से स्थित एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को COVID Consultation/Care Centre के रूप में विकसित किये जाने तथा उनके संचालन हेतु मानक संचालन प्रकिया निर्धारित की गई है।

उक्त विभागीय समसंख्यक आदेश की निरन्तरता में उक्त COVID Consultation/Care Centres की स्थापना, प्रभावी संचालन, नियमित पर्यवेक्षण आदि हेतु राज्य स्तर पर निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

इसी प्रकार प्रत्येक खण्ड में खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, को उक्त सम्पूर्ण व्यवस्था ब्लाक स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है। उक्त COVID Consultation/ Care Centre का प्रभारी सम्बन्धित सीएचसी का प्रभारी अधिकारी होगा। प्रत्येक ब्लॉक सीएमएचओ एवं सीएमएचओ द्वारा स्थापित किये गये COVID Consultation/ Care Centre का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए प्रेस नोट भी जारी किया जावे।

सम्बन्धित ब्लाक सीएमएचओ निम्न प्रपत्र Google spread sheet में वांछित सूचना राज्य पर निदेशक (जन स्वास्थ्य) को जरिये ई.मेल. directorph-rj@nic.in पर प्रतिदिन भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

Date	COVID Consultation/ Care Centre का नाम	OPD में मरीजो की संख्या	होम आईसोलेट किये गये मरीजो की संख्या	उपलब्ध बैड्स की संख्या	COVID Consultation / Care Centre में भर्ती किये गये मरीजो की संख्या	डिस्चार्ज किये गये मरीजो की संख्या	उच्च सेन्टर पर रेफर किये गये मरीजो की संख्या	प्रोनिंग का प्रशिक्षण दिये गये व्यक्तियों की संख्या

7/5/21

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
2. विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
3. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
4. समस्त जिला कलक्टर, राज.
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
6. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जोन राज.
7. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राज.
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
9. समस्त ब्लाक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
10. निजी /रक्षित पत्रावली

(संजय कुमार)
शासन उप सचिव